रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2017/भाद्र 2, 1939
No. 724] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2017/BHADRA 2, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1062(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के धारा 212 साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा अन्वेषण के संबंध में गिरफ्तारियां) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. (1) जहां किसी सरकारी कंपनी या विदेशी कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी के कामकाज की जांच करने वाले गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसएफआईओ कहा गया है) के निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक के पास उसके कब्जे में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसा विश्वास करने के कारण लिखित में दर्ज किए जाएँगे) कि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी पाया गया है वहां वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा:

परंतु अपर निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा की जा रही गिरफ्तारी के मामले में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय निदेशक का लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) गिरफ्तारी से संबंधित सभी विनिश्चयों के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक सक्षम प्राधिकारी होगा।

3. जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अन्वेषणधीन किसी सरकारी कंपनी या विदेशी कंपनी के संबंध में की जानी है वहां ऐसी गिरफ्तारी केन्द्रीय सरकार के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी;

परंतु गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी गिरफ्तारी की सूचना सरकारी कंपनी के कामकाज से संबंधित प्रबंध निदेशक या भारसाधक व्यक्ति को भी दी जाएगी और यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति सरकारी कंपनी का प्रबंध निदेशक या भारसाधक व्यक्ति है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को दी जाएगी।

4. निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (8) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरफ्तारी आदेश के साथ-साथ इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को इसकी तामील करेगा तथा तामील की लिखित पावती प्राप्त करेगा।

5. निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन सहित उसके कब्जे में उपलब्ध सामग्री और सभी अन्य दस्तावेजों की प्रति, उन दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् अग्रेषण पत्र सहित निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को एक मुहर बंद लिफाफे में यथाशीघ्र माध्यम से इस प्रकार अग्रेषित करेगा जिससे कि वह निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को चौबीस घंटे के अंदर प्राप्त हो जाए।

6. उक्त गिरफ्तारी रजिस्टर को निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में अनुरक्षित किया जाएगा और निदेशक या निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई सभी गिरफ्तारियों के संबंध में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के विवरण, गिरफ्तारी की तारीख और समय तथा गिरफ्तारी से संबंधित अन्य प्रासंगिक सूचना की प्रविष्टियां गिरफ्तारी रजिस्टर में की गई है।

7. नियम 5 में विहित दस्तावेज प्राप्त होने के तुरंत बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी और ऐसे व्यक्ति को दी गई सूचना से संबंधित प्रविष्टि गिरफ्तारी रजिस्टर में की जाएगी।

8. निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय -

(क) न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश की तारीख से, ऐसे मामलों में जहां की अपील न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है, या

(ख) अंतिम अपील न्यायालय के समक्ष मामले के निपटान की तारीख से, ऐसे मामलों में, जहां उक्त निर्णय या अंतिम आदेश को आक्षेपित किया गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो,

पांच वर्ष की अवधि के लिए समर्थनकारी सामग्रियों के साथ गिरफ्तारी आदेश का परीक्षण करेगा।

9. इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक गिरफ्तारी को गिरफ्तारी से संबंधित दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) के उपबंध *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू होंगे।

प्ररूप

गिरफ्तारी आदेश

[कंपनी/गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा अन्वेषण के संबंध में गिरफ्तारियां) नियम, 2017 के नियम 4 और नियम 5 देखें]

मै ________________________________ केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निदेशक/अपर निदेशक/सहायक निदेशक/अधिकारी हूँ, मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ________________________________ (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम), निवासी ____

____ को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है।

अत:, अब, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 212 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त ____________________________________ (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम) को तारीख __________ को समय _______ बजे गिरफ्तार करता हूँ और उसे गिरफ्तारी के ऐसे आधारों से अवगत करा दिया गया है।

की गई गिरफ्तारी विशिष्टियां		
1.	गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की अवस्थिति	
2.	अन्वेषण सं. के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय का आदेश और तारीख	
3.	मामले का शीर्षक	
4.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम, उपनाम सहित, यदि कोई है	
5.	जन्म की तारीख/ज्ञात आयु	
6.	लिंग	
7.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के माता-पिता का नाम	
8.	पहचान का विशिष्ट चिन्ह, यदि कोई है	
9.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्थायी पता	
10.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का वर्तमान पता	
11.	गिरफ्तारी का स्थान	
12.	गिरफ्तार करने की तारीख और समय	
13.	उस व्यक्ति का नाम, पता और टेलीफोन नं. जिसकी सूचना पर गिरफ्तारी की गई जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी जानी है	
14.	गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम	
15.	गिरफ्तारी के आधार उन धाराओं सहित जिनके अधीन गिरफ्तारी हुई है	

(गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर)/(अंगूठे का निशान)

साक्षी:

1. 2.		गिरफ्तारी की गई (गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के नाम और पदनाम सहित हस्ताक्षर)

सेवा में,

____

____

____

[गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम और पूरा पता]

<table>
<tr><th colspan="3">व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की अवस्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की अवस्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अन्वेषण संख्यांक के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदेश और तारीख</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मामले का शीर्षक</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">इस ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में श्री (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उपनाम सहित नाम) पुत्र श्री (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पिता का नाम) निवासी (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पता) की विधि अनुसार/(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार) व्यक्तिगत तलाशी की गई और निम्नलिखित वस्तुओं को कब्जे में लिया गया है।
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
(गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर)</td></tr>
<tr><td colspan="3">साक्ष्य:</td></tr>
<tr><td>1.
2.</td><td></td><td>द्वारा अभिग्रहित किया गया
(____________________)
(गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के नाम, पदनाम और तारीख सहित हस्ताक्षर)</td></tr>
</table>

[फा. सं. 1/12/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2017

G.S.R. 1062(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 469 read with section 212 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) Where the Director, Additional Director or Assistant Director of the Serious Fraud Investigation Office (herein after referred to as SFIO) investigating into the affairs of a company other than a Government company or foreign company has, on the basis of material in his possession, reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person has been guilty of any offence punishable under section 212 of the Act, he may arrest such person;

Provided that in case of an arrest being made by Additional Director or Assistant Director, the prior written approval of the Director SFIO shall be obtained.

(2) The Director SFIO shall be the competent authority for all decisions pertaining to arrest.

3. Where an arrest of a person is to be made in connection with a Government company or a foreign company under investigation, such arrest shall be made with prior written approval of the Central Government.

Provided that the intimation of such arrest shall also be given to the Managing Director or the person in-charge of the affairs of the Government Company and where the person arrested is the Managing Director or person in-charge of the Government Company, to the Secretary of the administrative ministry concerned, by the arresting officer.

4. The Director, Additional Director or Assistant Director, while exercising powers under sub-section (8) of section 212 of the Act, shall sign the arrest order together with personal search memo in the Form appended to these rules and shall serve it on the arrestee and obtain written acknowledgement of service.

5. The Director, Additional Director or Assistant Director shall forward a copy of the arrest order along with the material in his possession and all the other documents including personal search memo to the office of Director, SFIO in a sealed envelope with a forwarding letter after signing on each page of these documents, so as to reach the office of the Director, SFIO within twenty four hours through the quickest possible means.

6. An arrest register shall be maintained in the office of Director, SFIO and the Director or any officer nominated by Director shall ensure that entries with regard to particulars of the arrestee, date and time of arrest and other relevant information pertaining to the arrest are made in the arrest register in respect of all arrests made by the arresting officers.

7. The entry regarding arrest of the person and information given to such person shall be made in the arrest register immediately on receipt of the documents as specified under rule 5 in the arrest register maintained by the SFIO office.

8. The office of Director, SFIO shall preserve the copy of arrest order together with supporting materials for a period of five years

   a) from the date of judgment or final order of the Trial Court, in cases where the said judgment has not been impugned in the appellate court; or

   b) from the date of disposal of the matter before the final appellate court, in cases where the said judgment or final order has been impugned, whichever is later.

9. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to arrest shall be applied *mutatis mutandis* to every arrest made under this Act.

FORM

ARREST ORDER

(see rule 4 and 5 of the Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017)

Whereas, I…………………………………………..Director/Additional Director/Assistant Director authorised in this behalf by the Central Government, have reason to believe that ……………………………..[name of the person arrested] resident of………………………………… has been guilty of an offence punishable under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred on me under section 212 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), I hereby arrest the said…………………………………[name of the person arrested] at……………hours on ……………………and he has been informed of the grounds for such arrest.

PARTICULARS OF ARREST MADE		
1	SFIO Office at	
2	MCA order for investigation No. and Date	
3	Title of the case	
4	Name with alias of the arrestee, if any	
5	Date of Birth/known age	
6	Sex	
7	Parentage of the Arrestee	
8	Distinguishing marks of identification, if any	
9	Permanent address of the Arrestee	
10	Present address of the Arrestee	
11	Place of arrest	
12	Date and time of arrest	

13	Name, Address and Telephone No. of person whom intimation of arrest is to be conveyed	
14	Name and Designation of the Officer making the arrest	
15	Grounds of arrest along with sections under which arrested.	
(Signature of arrestee)/(thumb impression) Witnessed by:		
1. 2.		Arrested by (Signature of arresting officer with name and designation)

To,

………………………………..

………………………………..

[Name and complete address of the Person arrested]

PERSONAL SEARCH MEMO		
1	SFIO Office at	
2	RoC Office at	
3	Ministry of Corporate Affairs order for investigation No. and Date	
4	Title of the case	
In the presence of the following witnesses, the personal search of Sh. (Name with Alias of the Arrestee) S/o (Parentage of the Arrestee) R/o (Address of the Arrestee) was conducted as per law (as per the provision of section 51 of Cr.P.C) and following articles have been taken into possession, through this memo.		

1………………………….. 2………………………….. 3………………………….. (Signature of Arrestee)		
Witnessed by:		
1. 2.		Seized by (-----------) (Signature of arresting Officer with name, designation and date)

[F. No. 1/12/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.